# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

**आदेश सं०:** SHSB/GA/HR/2068/2016/**6684** पटना, **दिनांक: 08/02/2023**

## –:आदेश:–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापन संख्या–01/2022 के तहत राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में **विशेषज्ञ चिकित्सक–Dermatologist** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ–6 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:–

| क्र. सं. | Application No. | अभ्यर्थी का नाम | जन्म तिथि | पदस्थापन अस्पताल | मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | DE100026 | Dr. Lokhande Archana Jagdish, MD | 27-Jan-1985 | सदर अस्पताल, पटना | 1,00,000/- |
| 2. | DE100021 | Dr. Neha Kumari, MD | 20-Mar-1985 | सदर अस्पताल, कटिहार | 1,00,000/- |
| 3. | DE100020 | Dr. Prity Kumari, MD | 13-Feb-1987 | सदर अस्पताल, किशनगंज | 1,00,000/- |
| 4. | DE100030 | Dr. Rashmi Roy, MD | 19-Dec-1992 | सदर अस्पताल, सुपौल | 1,00,000/- |
| 5. | DE100024 | Dr. Aditi Snehal, MD | 11-Jul-1991 | सदर अस्पताल, वैशाली | 1,00,000/- |
| 6. | DE100025 | Dr. Garima Gitanjali, MD | 1-Sep-1988 | सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर | 1,00,000/- |
| 7. | DE100031 | Dr. Shiwesh Anand, Diploma | 22-Dec-1986 | सदर अस्पताल, बाँका | 1,00,000/- |

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:–

   i. **दिनांक 25 फरवरी, 2023 तक** उपरोक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ–5 में अंकित पदस्थापन अस्पताल के संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

   ii. योगदान के पश्चात् बॉण्ड एवं एकरारनामा करने के लिए, ₹ 1,000-1,000/- का दो (02) Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, **दिनांक 03.03.2023 तक**, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

   iii. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

   iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MD/MS/DNB डिग्रीधारी अथवा Diploma हैं, किन्तु उक्त उपाधि का निबंधन MCI/NMC/BCMR में नहीं करा पाए हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन योगदान की तिथि से एक (01) माह के अंदर उक्त उपाधि का निबंधन MCI/NMC/BCMR में कराकर निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

   v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

ix. उक्त विषेशज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त्त पर किया जाता है कि यदि पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Dermatologist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-HSS.9 (185.1) के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, संबंधित अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@yahoo.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 02 पृष्ठ है एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित है।

8/2/23

**(संजय कुमार सिंह)**

***ज्ञापांक:*** *SHSB/GA/HR/2068/2016/**6684*** *पटना,* ***दिनांक: 08/02/2023***

**प्रतिलिपि:** अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:** संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव–सह–प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट **http://shs.bihar.gov.in/** पर भी देखा एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

8/2/23

**कार्यपालक निदेशक**



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार